महेन्द्र सिंह प्रेमाराम बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीo

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर).

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	किस्म - दावा मु० नं० 79/2023
05-7-23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट क्रमांक / भू.अ./23/1115 दिनांक 15/7/23 द्वारा प्राप्त हुई जो शामिल मिसल किया गया। वास्ते आगामी कार्यवाही पत्रावली दिनांक 11-07-23 पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
11.07.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी व पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 11/07/23 दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 10:16:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
79 / 2023	2023 / 166	24.05.2023	11.07.2023

उनवान प्रकरण

1. महेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र बजरंगसिह शेखावत आयु 59 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

— वादी—

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—प्रतिवादी —

उपस्थित : – श्री रक्षपाल स्वामी एड0 वादी

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम पीथलपुर पटवार हल्का पीथलपुर भू–अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 814, 829 कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 1.2600 है0 में हिस्सा 1/12 एवं खसरा नम्बर 711, 714, 715 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 10:16:16 IST
Reason: SelfAttested

11/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

किता 3 कुल क्षैत्रफल 0.6000 है0 में हिस्सा 1/6 एवं खसरा नम्बर 702, 703, 874, 875 कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 1.8200 है0 में हिस्सा 1/24 एवं खसरा नम्बर 593 कुल क्षैत्रफल 0.0400 है0 गै0मु0 चाह में हिस्सा 1/48 की खातेदारी में वादी का नाम झाबरसिंह पुत्र बजरंगसिंह दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम महेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र बजरंगसिंह शेखावत हैं। वादी का वास्तविक नाम महेन्द्रसिह शेखावत पुत्र बजरंगसिंह शेखावत ही है एवं वादी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पैन कार्ड, सर्विस रिकार्ड, सर्विस आई.डी., एक्स–सर्विस हैल्थ कार्ड, घरेलु विद्युत कनेक्शन बिल आदि में भी वादी का नाम महेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र बजरंगसिंह शेखावत ही अंकित है परन्तु उक्त वर्णित कृषि भूमियां की खातेदारी में वादी का नाम झाबरसिंह पुत्र बजरंगसिंह दर्ज हो गया जो वादी को घर पर बोलते नाम झाबरसिंह पुकारने के कारण दर्ज हो गया, जिसके कारण वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं एवं किसान क्रेडिट कार्ड आदि बनवाने में परेशानी हो रही है। इसलिए उक्त वर्णित कृषि भूमियां झाबरसिंह पुत्र बजरंगसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र बजरंगसिंह शेखावत घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। वादी ने पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार से उपरोक्तानुसार सही दुरूस्ती बाबत निवेदन किया तो अदालत में दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत करके आदेश लाने हेतु कहा गया है। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादपत्र में प्रतिवादी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से एवं राजस्व अभिलेख में नाम दुरूस्ती किये जाने का [illegible] होने से पक्षकार बनाया जाकर राजस्व ग्राम पीथलपुर पटवार हल्का [illegible] भू–अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 734, 829 कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 1.2600 है0 में हिस्सा 1/12

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 10:16:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

11/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

एवं खसरा नम्बर 711, 714, 715 कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 0.6000 है0 में हिस्सा 1/6 एवं खसरा नम्बर 702, 703, 874, 875 कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 1.8200 है0 में हिस्सा 1/24 एवं खसरा नम्बर 593 कुल क्षेत्रफल 0.0400 है0 गै0मु0 चाह में हिस्सा 1/48 की खातेदारी में वादी का नाम झाबरसिंह पुत्र बजरंगसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र बजरंगसिंह शेखावत घोषित किये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया है। वादपत्र वास्ते घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी स्वयं का मुख्य परीक्षण में एवं वादी साक्ष्य गवाह में खींवसिंह पुत्र बजरंगसिंह व दशरथसिंह पुत्र बजरंगसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक भू.अ./23/1115 दिनांक 05.07.2023 द्वारा प्राप्त हुई। जिसको शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अभिशंषा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा साक्ष्य वादी में वादी व गवाहान् के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील वादी की बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 10:16:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

11/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जमाबंदी संवत् 2074–2077 चार जमाबंदीयों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक्स सर्विसमेन कॉन्ट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम कार्ड, एक्स सर्विसमेन आई.डी. कार्ड, परिवार राशन कार्ड, तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत साक्ष्य वादी व गवाहान् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादी के नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादी साक्ष्य में गवाहान् खींवसिंह पुत्र बजरंगसिंह व दशरथसिंह पुत्र बजरंगसिंह के द्वारा लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम पीथलपुर के खाता संख्या 189, 195, 197, 278 में प्रार्थी/वादी का नाम झाबरसिंह पुत्र बजरंगसिंह जाति राजपूत दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी/वादी का अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पैन कार्ड, सर्विस रिकार्ड, सर्विस आई.डी., घेरलु विद्युत कनेक्शन बिल आदि में महेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र बजरंगसिंह शेखावत ही अंकित है। नामान्तरण संख्या 469 के द्वारा बजरंगसिंह पुत्र जोरा सिंह की विरासत झाबरसिंह, दशरथ सिंह, खींवसिंह पिता बजरंग सिंह के नाम नामान्तरकरण खुला हुआ है। अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी का नाम झाबरसिंह पुत्र बजरंगसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र बजरंगसिंह शेखावत राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 10:16:16 IST
Reason: SelfAttested

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश[illegible] घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घो[illegible]णा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 734, 829 कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 1.2600 है0 में हिस्सा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

11/07/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

/12 एवं खसरा नम्बर 711, 714, 715 कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 0.8000 है0 में हिस्सा 1/6 एवं खसरा नम्बर 702, 703, 874, 875 कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 1.8200 है0 में हिस्सा 1/24 एवं खसरा नम्बर 583 कुल क्षेत्रफल 0.0400 हैक्टर गै0मु0 चाह में हिस्सा 1/48 की खातेदारी में वादी का नाम झाबरसिंह पुत्र बजरंगसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र बजरंगसिंह शेखावत उदघोषित किया जाता है तथा वादपत्र में संदर्भित कृषि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी में झाबरसिंह पुत्र बजरंगसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र बजरंगसिंह शेखावत का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

11/07/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/07/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 10:16:16 IST
Reason: SelfAttested